14·05 hrs.

BANKING LAWS (APPLICAION TO COOPERATIVE SOCIETIES) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further clause-by-clause consideration* of the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, and the Banking Companies Act, 1949 for the purpose of regulating the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith.

The question is:

"That clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 13 were added to the Bill.

Clause 14 (*Insertion of new Part V*)

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): I move my amendment No. 3. It is a consequential one seeking to substitute "1965" for "1964."

I beg to move:

(i) **Page 6, line 6,—**
for "1964" *substitute* "1965".

(ii) **Page 6, line 31,—**
for "1964" *substitute* "1965".

(iii) **Page 7, line 29,—**
for "1964" *substitute* "1965".

(iv) **Page 9, lines 31 and 32,—**
omit ",where there is no such cestral co-operative bank, shares".

(v) **Page 9, line 38,—**
for "1964" *substitute* "1965".

(vi) Page 11, line 10,—
for "1964" *substitute* "1965".

(vii) Page 11, line 15,—
for "1964" *substitute* "1965".

(viii) Page 11, line 29,—
for "1964" *substitute* "1965".

(ix) Page 13, line 3,—
for "1964" *substitute* "1965".

(x) Page 15, line 29,—
for "1964" *substitute* "1965".

(xi) Page 16, line 15,—
for "1964" *substitute* "1965".

श्री वे० शि० पाटिल (यवतमाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बैंकिंग लाज ऐप्लिकेशन टु कोआपरेटिव सोसायटीज बिल पिछले सत्र में 18-2-65 को प्रथम वाचन के लिये यहां रखा गया था । फर्स्ट रीडिंग के वक्त जब इस पर हाउस में बहुत मतभेद हुआ तब इस पर चर्चा स्थगित हो गई थी । इतना ही नहीं कि यह कहा गया कि इस को स्थगित होना चाहिये या नहीं, बल्कि इस पर डिविजन भी हुआ था । बाद में यह बात बतलाई गई थी कि कैबिनेट इस पर विचार करेगी और इस में कुछ सेक्शन्स ऐसे है जिन को अमेंड कर के इस बिल को पेश किया जायेगा । लेकिन उस के बाद इस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई । कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया ।

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बैंकिंग लाज के बारे में नोट हम को दिया है उसमें उन्होंने बैंकिंग लाज के ऊपर काफी प्रकाश डाला है । जो बैंकिंग लाज कोआपरेटिव सोसाइटिज के बारे में लागू किए जाने हैं । उन के बारे में जो फेडरेशन के अध्यक्ष, गाइडिंग साउल हैं, उनकी सहमति है ।

*For earlier proceedings on the Bill, *see* L.S. Debate, dated 18-2-65.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस हाउस का और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि फेडरेशन की जो मीटिंग हुई बंगलौर में, 9 फरवरी को, उसमें उन्होंने काफी रिकमेंडेशन की हैं । उन्होंने इस बिल में काफी अमेंडमेंट सुझाए हैं ।

उन्होंने यह सजेशन भी दिया था कि इसका पहला उद्देश्य है डिपाजिट इंश्योरेंस स्कीम को लागू करना । इस बिल का मेन आबजेक्ट यह था कि इस स्कीम का फायदा कोपरेटिव सोसाइटीज को मिले और इसलिए डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट के अमेंडमेंट के लिए वहां रिकमेंडेशन की गयी थी । गत बार जब इस बिल पर चर्चा हुई थी तो उस वक्त मैं ने बहुत जोर से प्रार्थना की थी कि जो डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट है वह अमेंड करना चाहिए और इस डिपाजिट इंश्योरेंस स्कीम से को-आपरेटिव सोसाइटीज को फायदा मिलना चाहिए लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया ।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद गवर्नर ने जो मीटिंग बुलायी थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट प्रतिनिधि थे और कोआपरेटिव के डाइरेक्टर भी थे । उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं ।

एक बात और है जो कोआपरेटिव कानून है वह स्टेट सबजैक्ट है । कोआपरेटिव सोसाइटीज का विस्तार करना या उनको ठीक तरह से चलाना यह काम स्टेट का है । और स्टेट गवर्नमेंट के रजिस्ट्रार के मातहत ये सोसाइटीज चलती हैं । इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे इसमें दो कंट्रोल हो जाते हैं । इस दूसरे कंट्रोल के कारण कुछ बातें करने में रजिस्ट्रार और गवर्नर, में मतभेद हो सकता है । जैसे शाखा खोलने का सवाल है । पहले शाखा खोलने के लिए गवर्नर की इजाजत लेने का कानून नहीं था लेकिन इस कानून ने अब दिया है कि अगर ब्रांच खोलना हो तो गवर्नर की इजाजत लेनी चाहिए । इसमें लिखा है

"Without obtaining the prior permission of the Reserve Bank no co-operative bank shall open a new branch."

यह ब्रांच खोलना किसान के हित की बात है । देहात में सैंट्रल बैंक नहीं होते । उनकी ब्रांच खोलने के लिए रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ेगी । मैं जानता हूं कि उन्होंने जो अमेंडमेंट दिए हैं और जो प्रोवाइसो दिया है उसमें कहा है "सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक विदिन दी एरिया आफ इट्स आपरेशन" । लेकिन बैंक की शाखा को खोलने के बारे में गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई ऐसे सवाल हैं जिन पर मैं अकेला बोल नहीं सकता । मेरा यह अनुरोध है कि फेडरेशन की जो मीटिंग हुई थी बंगलौर में उसमें गाडगिल साहब ने जो सजेशन्स दिए हैं उनको इम्पलीमेंट किया जाए ।

दो चार बातें और करनी हैं ।

एक बात यह है कि डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट अमेंड करना चाहिए और डिपाजिट इंश्योरेंस स्कीम को कोआपरेटिव बैंक्स पर लागू करना चाहिए ।

दूसरा यह एश्योरेंस मिलना चाहिए कि जो मैशिनरी इसका इम्पलीमेन्टेशन करे उसको सारे काम प्राहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन के मामले में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट आफ रिजर्व बैंक के द्वारा करने चाहिएं । यह आज तक अच्छा काम करता आया है ।

इसके अलावा ऐसी बातों में जैसे बैंकों को कितना लोन देना चाहिए या कहां लेयर

[श्री दे० शि० पाटिल]

डालने चाहिए इस बारे में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाना हो तो उसके पहले स्टेट गवर्नमेंट को और रजिस्ट्रार को कंसल्ट करना चाहिए ।

मेरा अगला निवेदन यह है कि जो आरगेनाइजेशन है वह देहात के हिसाब से अच्छा चले और जो डाइरेक्टर रहते हैं बैंक के उनको जो कमेटी सलाह देती है उस कमेटी में लेना चाहिए ।

और मेरा अमेंडमेंट यह था :

"State Government should be consulted before action is taken under clauses 20, 21 and 36."

अध्यक्ष महोदय : आपके अमेंडमेंट कहां हैं । मेरे पास तो नहीं है । किस क्लाज के नीचे है ?

श्री दे० शि० पाटिल : I am saying that these clauses be omitted.

क्लाज 35 (1) के बारे में जो कार्रवाई की जाए उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना चाहिए । इसी तरह सेक्शन 19 के मातहत जो कार्रवाही की जाए उसमें कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, रिजिस्ट्रार और स्टेट गवर्नमेंट से सलाह लेनी चाहिए । आखिर में मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वेंचर की मीटिंग में गाडगिल साहब ने जो सुझाव दिए हैं उसको ध्यान में रखकर इस बिल का इम्पलीमेन्टेशन करना चाहिये ।

Shri Parashar (Shivpuri): Sir, I have a constitutional and legal point for opposing the amendments moved in this Bill.

Mr. Speaker: Which amendment is he opposing?

Shri Parashar: Amendments moved for the regulation of the co-operative societies. All the amendments cannot be moved in this House. Therefore, I rise to make a point that whatever amendments are being moved for application to the co-operative societies of the banking laws....

Mr. Speaker: By the Government—in other words, that this Bill is *ultra vires*.

Shri Parashar: Exactly that is my point, so far as it relates to application to the co-operative societies. This Bill cannot be discussed in this House.

Mr. Speaker: I will allow him an opportunity to argue it. He might do it, but the ullimate decision would be that the Speaker cannot just decide wheher it is *ultra vires* or otherwise That should go to the courts and not to the Speaker. That would be the ultimate decision. Now, he might argue it.

Shri Parashar: I will argue it from another point of view. According to List II of the Seventh Schedule of the Constitution, it is the exclusive jurisdiction of the State Legislatures to enact laws on this subject and, therefore, this House will refuse to legislate on a subject which is under the exclusive jurisdiction of the State Lgislature. Therefore, I oppose this Bill under article 246 of the Constitution. Again, it has been expressly excluded from List I, item No. 43 and expressly included in the State list. Therefore. it cannot be discussed here in this House. Entry 43 of list I reads:

"Incorporation, regulation and winding up of trading corporations, including banking, insurance and financial corporations but not including co-operative societies."

So, it has been expressly excluded from the jurisdiction of this House. Again, entry 32 of List II reads:

> "Incorporation, regulation and winding up of corporations, other than those specified in List I, and universities; unincorporated trading, literary, scientific, religious and other societies and associations; co-operative societies."

Therefore, my humble request is that all those clauses which relate to co-operative societies should not be allowed to be discussed here. He can stress only the other amendments.

Shri Sham Lal Saraf (Jammu and Kashmir): I very much appreciate the principle behind the Bill. I feel this is the right time for introducing a Bill like this. But I would like to point out one or two things here. If the co-operative movement has failed in the country so far, it is mainly for the reason that the pattern of administration or running the co-operative societies has been very much defective. Especially the banking part has always been left in the lurch and it has never been carried on properly. That has adversely affected the progress of the co-operative movement in the country as a whole.

So far as co-operative banks are concerned, it is not clear from this Bill whether their investment policy will be administered by the co-operative department of the State or by the Reserve Bank of India. While co-operation is a State subject, banking is a Central subject. So, there is a lacuna which has to be made absolutely clear. If the administration of banking is to be left in the hands of the co-operative department of the States concerned, it will create some difficulties. I feel that the co-operative society as such may have to be separated from the banking part of it. So far as co-operative banks are concerned, it is very desirable to bring them on par with the other commercial banks in the rest of the country In that case, banks in the co-operative sector will function much more efficiently. It is not very clear from the Bill whether the co-operative banks will function under the bye-laws of the cooperative societies or under the control of the Reserve Bank, like all the rest of the banks. The hon. Minister should explain how he will remove the conflict between the two and will ensure smooth running of the banking part of the co-operative sector.

Shri B. R. Bhagat: As the long title itself says, the object of the Bill is to regulate "the banking business of certain co-operative societies and for matters connected therewith". Of course, banking comes under List I.

Mr. Speaker: So far as co-operative societies are concerned, they are the sole concern of the States. Now, you are taking out something from the purview of the cooperative societies which are the responsibility of the States, because they are in the State List.

Shri B. R. Bhagat: That is true. This matter was examined and it was decided that there is nothing *ultra vires* in it. In fact, if we look at the Bill, it will be found that non-banking activities like processing and marketing have been left out of the purview of this Bill. Care has been taken to see that only banking is incorporated in this Bill.

Shri Sham Lal Saraf: What the hon. Minister has stated will not satisfy us. That does not make the position clear. There are co-operative banks. Will they be governed by their bye-laws or according to the instructions of the Reserve Bank, like other banks? This Bill does not make clear as to how they will be separated.

Shri B. R. Bhagat: Banking business is already separate from other co-operative work. So, there is no difficulty in demarcation.

Mr. Speaker: The question is:

(i) Page 6, line 6,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(ii) Page 6, line 31,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(iii) Page 7, line 29,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(iv) Page 9, lines 31 and 32,—*omit* ",where there is no such central co-operative bank, shares".

(v) Page 9, line 38,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(vi) Page 11, line 10,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(vii) Page 11, line 15,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(viii) Page 11, line 29,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(ix) Page 13, line 3,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(x) Page 15, line 29,—*for* "1964" *substitute* "1965".

(xi) Page 16, line 15,—*for* "1964" *substitute* "1965".

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 14. as amended. stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

Clause 1.— (*Short title and commencement*)

Amendment made:

Page 1, line 5,—*for* "1964" *substitute* "1965" (2)

(*Shri B. R. Bhagat*)

Mr. Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made:

Page 1, line 1,—*for* "*Fifteenth*" *substitute* "*Sixteenth*" (1)

(*Shri B. R. Bhagat*)

Mr. Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Shri B. R. Bhagat: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed"

Mr. Speaker: Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed"

Shri Parashar: At this stage, I again propose to register my opposition to the passing of the Bill.

Mr. Speaker: That will be recorded.

Shri B. R. Bhagat: Even as it is, co-operative insurance comes under our Act.

Mr. Speaker: The question is (*Interruptions*)

The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह इतने महत्व का बिल पास हो रहा है। क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि क्या यह बिना कोरम के पास होगा? इस वक्त हाउस में गणपूर्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जो हो चुका है, उसको मैं नहीं ले सकता। अगर कोरम नहीं है, तो घंटी बजाई जाये।

The Belling is being rung.

14.32-4/4 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

Mr. Deputy-Speaker: Now there is quorum.

14.33 hrs.

SEEDS BILL

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Shahnawaz Khan on the 11th May, 1965, namely:—

> "That the Bill to provide for regulating the quality of certain seeds for sale, and for matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The time allotted is two hours out of which 55 minutes have already been taken. So one hour and five minutes are left.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, जेनेरल शाहनवाज खां साहब जिस बिल को लाए हैं, उस के लिए मैं उन को मुबारकबाद पेश करता हूं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि अपनी खुशफहमी और गुड इन्टेंशन्ज में वह कुछ जरूरी बातें छोड़ गए हैं। यह आम कहावत : **दि वे टु हैल इज आफ्टन पेव्ड विद गुड इन्टेंशन्ज**।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारा देश एक है, तो फिर पहले सफ्हे पर ही लिखी गई यह बात मेरी समझ में नहीं आती है : **इट एक्सटेंड्स टु दि होल आफ़ इंडिया एक्सेप्ट दि स्टेट आफ जम्मू एंड कश्मीर**। हमारे श्री श्यामलाल सर्राफ का प्रदेश कितना प्यारा है, लेकिन उस को अलग कर दिया गया है। अगर बुलन्दी भी साथ रहेगी, तो मैदानों में काम हो सकेगा। इस लिए मेरा निवेदन है कि इस कानून को जम्मू और काश्मीर में भी लागू किया जाये।

जेनेरल साहब खुद बहुत बड़े काश्तकार हैं और काश्तकार की दिक्कत को समझते हैं। लेकिन कम से कम सारे हिन्दुस्तान के साथ एक जसा सलूक होना चाहिए था। मेरी समझ में नहीं आया कि राजस्थान और मद्रास को मिलाने में क्या फायदा हुआ है। कहां राजस्थान और कहां मद्रास। इस में ज़ोन या रिजन या डिविजन के हिसाब से नुमायंदे लिये जाने चाहियें थे, लेकिन इस बारे में राजस्थान और मद्रास को एक साथ रखा गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन दोनों में क्या तुक है। मद्रास के लोग चावल खाते हैं और राजस्थान के लोग बाजरा खाते हैं। दोनों में क्लाईमेट्स कोई मेल नहीं खाती हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे पता चला कि कृषि मंत्री, श्री सुब्रह्मण्यम साहब, का प्रदेश मद्रास है और हमारे डिपुटी मिनिस्टर साहब, जेनेरल शाहनवाज खां साहब का ओरिजन राजस्थान में है। तो शायद दोनों मिनिस्टरों ने सोच कर अपने अपने प्रदेश रख दिये। लेकिन दोनों की आपस में कोई तुक नहीं है।

आज इस बात की जरूरत है कि देश की हालत को देखा जाये। जिन को लाइसैंस दिया जायेगा, वे पहले की तरह से किसान को परेशान करते रहेंगे। इस लिए बीज के लिए सिर्फ किसान को लाइसैंस देना चाहिए। किसी साहूकार या किसी तरह के डीलर को लाइसैंस देना किसान के साथ अन्याय करना होगा।

अगर मैं यह कह दूं, तो अप्रासंगिक नहीं होगा कि तानसेन के स्कूल में हमारे डिपुटी मिनिस्टर जैसा एक तालिब इल्म चला गया और उस ने तानसेन से पूछा कि इल्मे-मौसीकी